

क
लि
म

14/4/26 पत्रा. पत्रा / अवाप 7.1 पेव्व नदी
पत्रा / अवाप: वन मिया वावा
पत्रा वावा वल्ल 30/4/26 सी
पेव्व की Che

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

15/5/26 पत्रा. पत्रा / वनीत पत्रा. उत्तर
वदय वनी मर्दि वावा
उत्तर 21/5/26 व पत्रा की Che

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

21/5/26. पत्रा. पत्रा ।
वादी द्वारा प्रार्थना पत्र वावा 212
RT Act पत्रा किया गया ।
वादी का कथन है कि ग्राम उदपुरा
वदशील चेचर वसरा 513/245
2कवा 0.12 है आराजी स्थित है
जिस पर प्रार्थी 2 व 3 व अप्रार्थी
1 का कवा है
ग्राम उदपुरा वसरा 243 व वसरा
248/270 अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा
अप्रार्थी क्रम 1 को दी जुकी है
जिसके पास कुआ व एक पक्का
मकान स्थित है
प्रार्थी का अनुतोष है कि उक्त
आराजी के लिए अप्रार्थी क्रम
1 व 2 के विरुद्ध स्टार्ड निवेदन

Che अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इतिहासगत जज	पन्ना अंक हुक्म नं
----------------	-----------------------------------	-----------------------------

फरमाई जाइ कि बड बसरा न .
 513/245 की रकबा 0.12 है, व
 बसरा 243 व 248/470 के पास
 स्थित कुआ व मकान का क्रय-विक्रय
 व दान दौलत के बदल न करे व
 किसी एजेन्ट से करावे व प्राथमिक
 को बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए
 बंदबल न करे।

वादी द्वारा जमाबंदी सम्वत 2024-
 2027 को की गई।

बसरा 243 व 248/470 ग्राम
 उदपुरा कैलाशबाई पुत्री नारायण
 के धाते हैं। वादी उक्त आराजी
 के पास स्थित कुआ व मकान
 के लिए स्थाई निवेशता मांग
 रहा है जो राजस्व न्यायालय के
 अधीकार में नहीं आता।

बसरा 513/245 रकबा 0.12 है
 ग्राम उदपुरा नारायण पुत्र
 किरानलाल के धाते हैं।
 वादी का कथन है कि अप्राथमिक
 2 द्वारा उक्त आराजी प्राथमिक
 क्रम 2 व 3 को बटवारे में ही
 गई थी परंतु इससे संबंधित
 कोई दस्तावेज वादी द्वारा
 सलबत नहीं किए गए हैं।
 न ही वादी ने कोई दस्तावेज

क्लर्क अदालत
 जमाबंदी

क्र
म

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

पैरा किया है जिससे यह पता चल
कि उक्त आराजी ~~के~~ पुरतनी
स्त्र ही वादी ने सिर्फ मदन न-२
के समीप स्थित कुआ व
पक्के मकान को पुरतनी बताया
है।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र में न ही
प्रथम दृष्टया मामला, न अपूर्णिय
क्षति की सम्भावना और न ही
सुविधा का अस्तुलन वादी के पक्ष
में जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य
नही है। अतः निरस्त किया जाता
है।

पत्रावली ~~के~~ प्रसल शुमार हीकर
दाखिल दफ्तर है।

Che
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी